



**जनपद बिजनौर
प्रेसनोट-थाना नगीना**

दिनांक-15.03.2026

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 65/2026 धारा 115(2)/352/ 351(3) /333/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 15.03.2026 को वादी श्री संजय जैन पुत्र स्व0 बालकिशन जैन निवासी मौहल्ला मण्डी मौलगंज कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर नें थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.कयामुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन 2. आवेश पुत्र कयामुद्दीन 3. परवेज पुत्र कयामुद्दीन निवासीगण कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते व जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की गयी तथा बचाव में आये, वादी के पुत्र का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया और वादी के बडे भाई को दुकान पर रखे लोहे का बाट से वार कर घायल कर दिया । इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 65/26 धारा 115(2)/352/351(3)/333/109(1) बीएनएस का पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

आज दिनांक 15.03.2026 को थाना नगीना पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तगण 1.कयामुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन 2.आवेश पुत्र कयामुद्दीन 3.परवेज पुत्र कयामुद्दीन निवासीगण कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. कयामुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन निवासी मौ0 नौमी कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. आवेश पुत्र कयामुद्दीन निवासी मौ0 नौमी कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. परवेज पुत्र कयामुद्दीन निवासी मौ0 नौमी कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 सोहन सिंह पुण्डीर थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1945 विक्रम सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1886 अमित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर